

making it clear to the ad-hoc appointees that their services are purely temporary and that such appointments will not confer upon them any right for regular appointment in the C.H.S. Such of the ad-hoc appointees who have not been able to equalify in the written examination or interviews held by the UPSC for regular appointments have to be replaced ultimately by regular officers.

(d) No. Recruitment to the posts of junior scale General Duty Medical Officers are made in accordance with the CHS rules by the UPSC ensuring certain minimum standards of proficiency.

#### Appoint of a Marine Engineer at Port Blair

9436, SHRI L. L. KAPOOR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Harbour Master at Port Blair has appointed one Marine Engineer without any sanctioned post and unauthorisedly, if so, when the post was sanctioned; and

(b) what steps are being taken to stop such mal-practices?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

अधीनस्थ रेलवे कार्यालयों से भर्ती किये गये क्लर्क

9437. श्री रामलाल तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के दौरान अधीनस्थ रेलवे कार्यालय से पूर्णतः तदर्थ आधारे पर भर्ती किये किये गये क्लर्कों को स्थायी रूप से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में आया लिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पदों को भरने के लिए बनाये गये नियमों और 11 जून, 1977 को उनके द्वारा लोक सभा में किये गये मौखिक सम्बन्धी कथन के प्रतिकूल नहीं है.

(ग) क्या उनको आयोग जाने के बारे में आवेग जारी करने से पूर्व इस बारे में यह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श किया गया था, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्वीरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी अनियमितता करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव माराजब) :

(क) वर्ष 1968-69 में अधीनस्थ रेलवे कार्यालय से लिपिकों की सेवाएं प्रस्थायी आधार पर प्राप्त की गयी थी परन्तु बाद में रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रवर्गीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार जो इन लिपिकों की भर्ती के समय लागू थे, उन्हें रेलवे बोर्ड में नियमित कर दिया गया है। उन्हें दी गयी वरिष्ठता के अनुसार उनकी धारा 2 पर स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है यह भर्ती रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रवर्गीकरण की उपर्युक्त योजना के अनुसार की गयी थी। लोक सभा में 11-6-1977 को रेल मंत्री द्वारा दिये गये नीति विधायक बयान का संबंध 1974-75 और अनुवर्ती वर्षों में तदर्थ आधारे पर की गयी लिपिकों की भर्ती से है उपर्युक्त भर्ती से नहीं।

(ग) और (घ) यद्यपि रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श किया गया था परन्तु भन्त में यही निर्णय किया गया कि उनकी नियुक्ति को सरकार के अनुमोदन से नियमित कर दिया जाय।

इन्दौर-बिलासपुर गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों की गोली मारकर हत्या किया जाना

9439. श्री राधकृष्णी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने इन्दौर-बिलासपुर गाड़ी में यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों की घोपाल तथा इटारसी के बीच गोली मार कर हत्या कर दी गई थी,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूरा स्वीरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या मूल व्यक्तियों के आशितों को रेलवे द्वारा कोई मुआवजा भरा किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?